प्रतिवेद्य

[2021] 8 एस.सी.आर. 537

पंकज कुमार

बनाम

स्टेट ऑफ़ झारखंड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4864/2021)

19 अगस्त, 2021

[उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी, जे.जे.]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000: धारा 72, 73 और 74- बिहार और झारखंड में सेवाओं से संबंधित प्रावधान - आरक्षण का लाभ - पात्रता - बिहार राज्य का निवासी व्यक्ति - 1950 का आदेश, जातियों/जनजातियों की पहचान करता है जिसके तहत एकीकृत बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ दिया जाता है - तत्पश्चात बिहार राज्य दो उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित हो गया, जिसमें 2000 अधिनियम द्वारा संरक्षित सीमा तक अधिकार और विशेषाधिकार थे - उक्त व्यक्ति, यदि अभी भी उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में प्रवासी माने जा सकते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रोजगार के लिए उनके विशेषाधिकारों और आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा सकता है, जिसका लाभ वर्तमान व्यक्ति या उनके वंशजों ने एकीकृत बिहार राज्य में उठाया है- अभिनिर्धारित: व्यक्ति उत्तराधिकारी बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक राज्य में आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है, लेकिन वह दावा करने का हकदार नहीं होगा विशेषाधिकार और आरक्षण का लाभ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में एक साथ प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के शाशनादेश का उल्लंघन होगा - जो आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तरवर्ती बिहार राज्य के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय उन्हें प्रवासी माना जाएगा और आरक्षण का लाभ लिए बिना सामान्य श्रेणी में भाग लेना उनके लिए खुला होगा और इसके विपरीत-धारा 73 न केवल मौजूदा

सेवा शर्तों की रक्षा करने का प्रावधान करती है, बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों का लाभ जो वह नियत दिन को या उससे पहले बिहार राज्य में प्राप्त कर रहा था, उसे झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद उसके लिए अहितकर नहीं बदला जाना चाहिए - इसके मद्देनजर, यह उनके हितों के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि पदधारी के समाहित होने के बाद आरक्षण के लाभों और उसके साथ मिलने वाले विशेषाधिकारों और लाभों की झारखंड राज्य में सुरक्षा नहीं की जाती है - कर्मचारी जो नियत दिन को या उससे पहले बिहार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में थे, उन लोगों को छोड़कर जो झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले किसी भी जिले के निवासी हैं, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने झारखंड राज्य में सेवा करने का विकल्प प्रस्तुत किया है, उनकी मौजूदा सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा वे धारा 73 के आधार पर संरक्षित रहेंगे - ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, जिनकी जाति/जनजाति अधिसूचित की गई है, उन्हें विशेषाधिकारों और उससे प्राप्त लाभों सहित आरक्षण का लाभ, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए धारा 73 के आधार पर संरक्षित किया जाएगा जिसका दावा (उनके वार्डस सहित) सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए किया जा सकता है - संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950।

अपीलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को लागू करके, जहाँ तक सेवारत कर्मचारियों की सेवा शर्तों का संबंध है, वास्तव में अधिनियम 2000 के भाग VIII के तहत धारा 74 सपठित धारा 73 के आधार पर संरक्षित किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ऐसे कर्मचारी जो नियत तिथि से ठीक पहले नियुक्त किए गए थे और जो वर्तमान झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र में विद्यमान बिहार राज्य के मामलों से संबंधित किसी पद या कार्यालय में कार्य कर रहे थे, वे उत्तरवर्ती राज्य में उसी पद या कार्यालय में बने रहेंगे, बशर्ते कि बिहार राज्य में बने रहने का विकल्प चुना गया हो, तो उन्हें उत्तरवर्ती राज्य के पद या कार्यालय में विधिवत नियुक्त माना जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे कर्मचारी जो नियत तिथि अर्थात दिनांक 15 नवंबर, 2000 को या उसके ठीक पहले उन 18 जिलों में काम कर रहे हैं, जो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार झारखंड राज्य का

हिस्सा बन गए हैं, उन्हें संबंधित उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में नियुक्त माना जाएगा, तथा उनकी सेवा शर्तों में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उनके लिए कोई अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। [पैरा 48][564-बी-ई] [पैरा 48][564-बी-ई]

1.2 अधिनियम 2000 की योजना यह अवधारणा करती है कि जो कर्मचारी नियत तिथि को या उससे पहले बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, या तो अधिनियम की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले जिलों के निवासी हैं या अपनी वरिष्ठता में कनिष्ठ होने का विकल्प चुना है या शामिल हुए हैं, वे झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में समाहित हो जाते हैं और एक वैधानिक साधन के आधार पर, उनकी सेवा शर्तें संरक्षित हो जाती हैं और वे राष्ट्रपति आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार हो जाते हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। [पैरा 49][565-एफ-जी]

1.3 झारखंड राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों में एक मौलिक विरोधाभास है कि पदोन्नति संवर्ग पद में आरक्षण के लाभ सहित मौजूदा सेवा शर्तों में उसके अहित में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परन्तु उसे खुले/सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने के दौरान झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा और पड़ोसी राज्य बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा जाएगा, झारखंड राज्य की सेवा का सदस्य बनने के बाद अपने मूल राज्य झारखंड में अलग स्थिति रखना, नियत दिन यानी दिनांक 15 नवंबर, 2000 को और उसके बाद पर्याप्त लंबे समय तक राज्य में सेवा करना कानून में असहयोगात्मक है और अधिनियम 2000 की योजना का उल्लंघन है। [पैरा 52][567-डी-ई]

1.4 यह उनके हितों के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि आरक्षण के लाभों के साथ विशेषाधिकारों और उससे मिलने वाले लाभों को झारखंड राज्य में संरक्षित नहीं किया जाता है, धारा 15 के तहत उसके समाहित होने के

बाद अधिनियम 2000 की धारा 73 में स्पष्ट रूप से न केवल मौजूदा सेवा शर्तों की रक्षा करने की बात कही गई है, बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों का लाभ भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जिसका उपभोग वह नियत दिन अर्थात् दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को या उसके पूर्व बिहार राज्य में कर रहा था, उसमें उसके झारखण्ड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। [पैरा 53][567-एफ-जी]

1.5 अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के सामूहिक वाचन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका मूल निवास/आवास नियत तिथि को या उससे पहले बिहार राज्य का था, जो अब अधिनियम, 2000 की धारा 3 के अंतर्गत उत्तरवर्ती राज्य अर्थात झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों/क्षेत्रों में आता है, वे उसी समय झारखंड राज्य के साधारण निवासी बन गए, जहां तक कि ऐसे कर्मचारियों का प्रश्न है जो नियत तिथि अर्थात दिनांक 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले अधिनियम 2000 के अंतर्गत बिहार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में थे, उन लोगों को छोड़कर जो झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले किसी भी जिले के निवासी हैं, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है या ऐसे कर्मचारी जो भारत सरकार की नीति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के संवर्ग में कनिष्ठ हैं, जिसके लिए संदर्भ दिया गया है, चाहे स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से झारखंड राज्य की सेवा करने के लिए बुलाए जाते हैं, उनके मौजूदा सेवा शर्तों में उनके लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे अधिनियम, 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित रहेंगी। [पैरा 54][568-ए-डी]

1.6 ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, जिनकी जाति/जनजाति को संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन द्वारा अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 की पांचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्यों के लिए पृथक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है, उन्हें विशेषाधिकारों और उससे प्राप्त लाभों सहित आरक्षण का लाभ अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित रहेगा, जिनका दावा सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए किया जा सकता है (उनके वार्डस द्वारा भी)। [पैरा 55][568-डी-ई]

1.7 यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक में आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है, लेकिन वह दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में एक साथ आरक्षण के विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का हकदार नहीं होगा और यदि ऐसा करने की स्वीकृति दी जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के शासनादेश को निष्फल करेगा और जो लोग आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तरवर्ती बिहार राज्य के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय उन्हें प्रवासी माना जाएगा और आरक्षण का लाभ लिए बिना सामान्य श्रेणी में भाग लेना खुला रहेगा और इसके विपरीत होगा। [पैरा 56][568-ई-एफ]

1.8 सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020 में अपीलकर्ता, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर झारखंड राज्य में सेवारत कर्मचारी होने के नाते, वह सार्वजनिक रोजगार की तलाश में खुली प्रतियोगिता में भाग लेने सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों सहित आरक्षण का लाभ लेने का हकदार होगा। [पैरा 57][568-जी-एच; 569-बी]

1.9 जहां तक सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 3610-3615/2021 में अपीलकर्ताओं का संबंध है, उनमें से किसी ने भी रिकॉर्ड पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि वे कितने समय से उन जिलों में रह रहे थे, जो अब झारखंड के उत्तरवर्ती राज्य का हिस्सा हैं और वर्ष 2004 के विज्ञापन में यह आवश्यक था कि किसी को झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनमें से किसी ने भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अपीलकर्तागण के वर्तमान बैच को वर्ष 2005 में झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर आरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, वे झारखंड राज्य में प्रवासी थे, जिससे वे आरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं थे। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्तागण ने आरक्षक के पद

के लिए चयन हेतु झारखंड राज्य द्वारा जारी दिनांक 13 जनवरी, 2004 के विज्ञापन के अनुसार सद्भावपूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया था और प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय अपीलकर्ताओं में से किसी ने दुर्व्यपदेशन कियाहै या जिस जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से अपीलकर्ता संबंधित है, उसे संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसे अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में संशोधित किया गया है या ओबीसी का वह वर्ग जिसे झारखंड राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है और एक बार अपीलकर्ताओं की नियुक्ति हो जाने के बाद, 3-4 वर्षों तक चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उनकी सेवाएँ जून, 2008 में समाप्त हो गईं और जिनकी कभी भी दोषी नहीं रहे थे , मुकदमेबाजी में लगभग 13 वर्ष गंवा चुका है और बाद में रोजगार नहीं पा सके थे। विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों तथा सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रत्येक अपीलकर्ता वेतन और भत्ते आदि के काल्पनिक निर्धारण पर सेवा में पुनः बहाल होने का हकदार है। [पैरा 58, 59][569-ए-सी, डी-जी]

1.10 उच्च न्यायालय का बहुमत का निर्णय अस्थिर है और इसे अपास्त किया जाता है। सिद्धांत रूप से अल्पमत के निर्णय से सहमति नहीं है। [पैरा 60][569-जी-एच; 570-ए]

1.11 सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020 में अपीलकर्ता को विज्ञापन संख्या 11/2007 के संदर्भ में उनके चयन के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और वह वेतन और भत्तों के काल्पनिक निर्धारण के साथ योग्यता के क्रम में अपनी नियुक्ति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के हकदार हैं और सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 3610-3615/2021 में, प्रत्येक अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ताओं को काल्पनिक वेतन और भत्तों के साथ सेवा में बहाल किया जाएगा और वे नियुक्ति/बहाली की तारीख तक वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे। [पैरा 61][570-बी-डी]

मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और अन्य **(1990) 3 एससीसी 130: [1990] 2 एससीआर 843;** स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य **(1994) 5 एससीसी 244: [1994] 1 पूरक एससीआर 714**; बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य **(2018) 10 एससीसी 312: [2018] 10 एससीआर 513**; सुधाकर विट्ठल कुंभारे बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य **(2004) 9 एससीसी 481: [2003] 5 पूरक एससीआर 746**; सौ कुसुम बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य **(2009) 2 एससीसी 109: [2008] 17 एससीआर 675**; एमसीडी बनाम वीना और अन्य **(2001) 6 एससीसी 571: [2001] 1 पूरक एससीआर 493**; कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, ट्राइबल डेवलपमेंट और अन्य **(1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3 पूरक एससीआर 50**- संदर्भित किया गया ।

संदर्भित निर्णयज विधि

[1990] 2 एससीआर 843	संदर्भित किया गया	पैरा 13
[1994] 1 अनुपूरक एससीआर 714	संदर्भित किया गया	पैरा 13
[2018] 10 एससीआर 513	संदर्भित किया गया	पैरा 13
[2003] 5 पूरक एससीआर746	संदर्भित किया गया	पैरा 17
[2008] 17 एससीआर 675	संदर्भित किया गया	पैरा 17
[2001] 1 पूरक एससीआर 493	संदर्भित किया गया	पैरा 40
[1994] 3 पूरक एससीआर 50	संदर्भित किया गया	पैरा 51

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4864/2021।

LPA संख्या 80/2018 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 24.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

साथ

सिविल अपील संख्या 4865-4870/2021

केके वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, अरुणाभ चौधरी, एएजी, अक्षय अमृतांशु, सौरभ मिश्रा, कनु अग्रवाल, सुश्री सुहासिनी सेन, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री तूलिका मुखर्जी, ज़ैन खान, श्वेतांक सिंह, सुश्री आस्था श्रेष्ठ, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, अमित पवन, आनंद नंदन, सुमीत गाड़ोदिया, कौशिक पोद्दार, अधिवक्ता वास्ते उपस्थित पक्षकार ।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

न्यायमूर्ति रस्तोगी ,

1 अनुमति प्रदत्त की गई।

2. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2020 को तीन न्यायाधीशों द्वारा 2:1 के बहुमत से पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलों का यह तात्कालिक बैच दायर किया गया है।

3. इस प्रासंगिक विवाद की उचित विवेचन के लिए तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

4. सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020 में, अपीलकर्ता के पिता मूल रूप से बिहार राज्य के पटना जिले के निवासी थे, लेकिन जैसा कि कथन किया गया है, अपीलकर्ता का जन्म 27 नवंबर, 1974 को हजारीबाग

में हुआ था, जहां उनके पिता रहते थे, जो पहले एकीकृत बिहार राज्य का हिस्सा था, लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (जिसे आगे "अधिनियम, 2000" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निर्धारित दिन यानी 15 नवंबर 2000 से लागू होने के बाद, जिला हजारीबाग झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा बन गया।

5. अपीलकर्ता ने यह दलील दी है कि उसका जन्म और पालन-पोषण और शिक्षा उस क्षेत्र में हुई जो अब झारखंड राज्य में है। वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है और झारखंड राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। कि 21 दिसंबर, 1999 को उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया और झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया। राज्यों के विभाजन पर कैडर संशोधन के अनुसार उन्होंने झारखंड राज्य को चुना। शिक्षक के रूप में सेवा करते हुए, आगे बढ़ने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, वे झारखंड राज्य द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 11/2007 के अनुसार तीसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल हुए।

6. उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद साक्षात्कार हुआ और अंतिम परिणाम वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ और उनका नाम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 17 रिक्तियों के लिए क्रम संख्या 5 पर था । लेकिन जब उनकी नियुक्ति के आदेश को रोक दिया गया और अनुसूचित जाति श्रेणी में योग्यता के क्रम में निचले स्तर के लोगों को 11 अगस्त, 2010 को नियुक्त किया गया, तो योग्यता के क्रम में रखे जाने के बावजूद नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से उनकी अनभिज्ञता के बारे में राज्य प्राधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

7. झारखंड राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है और अनुसूचित जाति श्रेणी में विधिवत चयनित है, लेकिन उनका बचाव यह था कि उनकी सर्विस बुक से पता चलता है कि वह बिहार राज्य के पटना जिले के स्थायी निवासी हैं, इसलिए उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जा रहा है। परिणामस्वरूप, वह संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर, 2017 के निर्णय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी राज्य को उनके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिसे राज्य द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती दी गई और बहुमत के साथ विवादित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई।

9. सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 3610-3615/2021 में अपीलों का दूसरा बैच अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनका कथन है कि नियत दिन, यानी 15 नवंबर, 2000 को झारखंड राज्य में रह रहे थे और 13 जनवरी, 2004 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उन्हें झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और लगभग तीन वर्षों तक सेवा करने के बाद, उनकी सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि वे बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और उन्होंने बिहार राज्य के प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत

किया था, इसलिए वे 16 जून, 2008 के आदेश द्वारा झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं हो सकते।

10. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30 जनवरी, 2015 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्तागण ने एलपीए पेश किया, जिसे अपीलकर्ता पंकज कुमार द्वारा पेश एलपीए के साथ जोड़ दिया गया और सभी समरूप मामलों की सुनवाई की गई और विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया, जो अपील के वर्तमान बैच में चुनौती का विषयवस्तु है।

11. अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि एकीकृत बिहार राज्य में, सभी अपीलकर्तागण को असुविधाओं और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो बिहार राज्य में संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 से परिलक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उनकी जाति/जनजाति को शामिल करने के लिए इनपुट का गठन करते हैं।

12. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता पंकज कुमार के वंशजों का मूल स्थान पटना जिला था, लेकिन उनका जन्म 27 नवंबर, 1974 को हजारीबाग जिले में हुआ था और वर्ष 1989 से वे रांची जिले के निवासी हैं, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में 21 दिसंबर, 1999 को रांची के एक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अधिनियम, 2000 की धारा 73 के साथ धारा 74 के अनुसार वे झारखंड राज्य

के सामान्य निवासी बन गए और झारखंड राज्य के अधिकारियों द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता का जाति प्रमाण पत्र, असुविधाओं और सामाजिक कठिनाइयों से गुजरने के बाद, संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में सम्मिलित पांचवीं (भाग VI ए) और छठी (भाग अनुसूची) के संदर्भ में झारखंड राज्य में उन्हें जारी किया गया है।

13. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को झारखंड राज्य में प्रवासी मानने में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण न केवल संविधान के अनुच्छेद 341(1) का उल्लंघन है, बल्कि अधिनियम, 2000 की स्कीम का भी उल्लंघन है और इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा निर्धारित प्रवास के सिद्धांतों पर भरोसा किया गया है, जिसमें **मर्री चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और अन्य 1990(3) एससीसी 130 और महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1994(5) एससीसी 244 और बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य 2018(10) एससीसी 312** जिसका वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

14. यह प्रस्तुत किया गया कि ये सभी ऐसे मामले थे, जिनमें पदधारी स्वेच्छा से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए थे, लेकिन इस कारण से कि जिस जाति से पदधारी संबंधित थे, उसका नामकरण दोनों राज्यों में राष्ट्रपति के आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जातियों की श्रेणी में अधिसूचित किया गया था, पदधारी प्रवासी ने उस राज्य में अपने अधिकार का दावा किया, जहां वह अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रवासित हुआ था, जिसे बाद के राज्य में दावा करने का प्रवासी हकदार नहीं

था।

15. लेकिन अपीलकर्ता का मामला बिहार राज्य से झारखंड राज्य में स्वैच्छिक या अनैच्छिक प्रवास का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें एकीकृत बिहार राज्य को अधिनियम, 2000 के तहत दो उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखंड राज्य में विभाजित किया गया है और राष्ट्रपति आदेश 1950 समय-समय पर संशोधित के तहत जाति/जनजाति को शामिल किये जाने के कारण , जाति की पहचान एकीकृत बिहार राज्य में संबंधित सदस्यों द्वारा सामना किए जा रहे नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों के कारण की गई थी, जो सार्वजनिक रोजगार के लिए झारखंड राज्य भर में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार थे।

16. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक बार जब राष्ट्रपति ने अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के अनुसार संविधान (अनुसूचित जाति)/ (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की पांचवीं और छठी अनुसूची को झारखंड राज्य के लिए अधिसूचित कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता की जाति भी शामिल है, तो उसे झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को उपलब्ध विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने से वंचित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

17. संबंधित अपीलों में अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि अपीलकर्ता एकीकृत बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं तथा अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात, दोनों राज्यों अर्थात् बिहार राज्य और झारखंड राज्य में उनकी जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को विधिवत स्वीकार किया जा रहा है तथा बिहार राज्य में आरक्षण का

लाभ प्राप्त करने के उनके अधिकारों को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (जिसे आगे "अधिनियम 1991" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा धारा 4 में जोड़े गए प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो इसे केवल उन लोगों तक सीमित करता है जो बिहार राज्य में निवास कर रहे हैं तथा जैसा कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया जा रहा है आरक्षण का लाभ लेने के उनके दावों को निरस्त करने के लिए यदि उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाता है, वे दोनों राज्यों (बिहार और झारखंड) में आरक्षण का दावा करने से वंचित हो जाएंगे। **सुधाकर विट्ठल कुंभारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2004(9) एससीसी 481 और सौ कुसुम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2009(2) एससीसी 109** में इस न्यायालय के निर्णय की सहायता लेते हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उनके दावे को अस्वीकार करके एक गंभीर त्रुटि की है और अल्पमत का दृष्टिकोण संविधान के अधिदेश और संविधान के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले अधिनियम 2000 की अधिदेश पर आधारित है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य है।

18. विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के.के. वेणुगोपाल ने विवादित निर्णय के अल्पमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी, 1985 को एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति केवल अपने गृह राज्य में ही लाभ का दावा करने के हकदार हैं न कि उस राज्य में जहां वह पदधारी स्थानांतरित हुआ है और इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आगे यह भी मंजूरी दी है कि कोई व्यक्ति केवल अपने गृह राज्य में ही आरक्षण का लाभ

लेने का हकदार है न कि उस राज्य में जहां वह स्थानांतरित हुआ है

19. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) में स्पष्ट रूप से यह अधिदेश दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद, विशेष रूप से उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भागों या समूहों को अधिसूचित करें, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी और यह उस राज्य में पदधारी द्वारा दावा किए जाने वाले लाभों से वंचित कर देता है , जहां वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित हुआ है।

20. संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जातियों/जनजातियों को अधिसूचित किया और अलग अधिसूचना द्वारा ओबीसी की श्रेणी में एकीकृत बिहार राज्य में लागू था। यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ऐसी जातियों के सदस्यों के विपरीत, जिन्हें अधिसूचित किया गया है, उनके नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा देखा गया है और मूल स्थान प्राधिकारी के लिए यह जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या व्यक्ति संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होने का हकदार है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, वह सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए पात्र हो जाता है और अनुसूचित जाति के सदस्यों को पूरे राज्य में मिलने वाले विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं, जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

21. एकीकृत बिहार राज्य को अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर, 2000 से दो उत्तराधिकारी राज्यों, अर्थात् बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित कर दिया गया है, और एकीकृत बिहार राज्य के 18 जिलों को अधिनियम, 2000 की धारा 3 के तहत उत्तराधिकारी झारखंड राज्य में शामिल कर दिया गया है, जिसमें अधिनियम के तहत एक और राइडर/प्रतिबंध लगाया गया है, जैसा कि भाग VIII में दर्शाया गया है, जो सेवारत कर्मचारियों से संबंधित है और धारा 73 को धारा 74 के साथ पढ़ा जाए तो विशेष रूप से नियुक्त तिथि अर्थात 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले काम करने वाले रोजगार में लगे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है और जो अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित 18 जिलों के निवासी हैं, जो झारखंड राज्य का हिस्सा बन गए हैं, उनके अधिकार दिए गए परिस्थितियों में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित हैं, झारखंड राज्य के लिए यह कहना न्यायसंगत नहीं होगा कि पदधारी के अधिकार, जिसमें उसका जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है, जो उसके पास है, यहां तक कि बाद में एससी/एसटी की रिक्ति के विरुद्ध उसकी पदोन्नति के लिए भी अधिनियम 2000 की धारा 74 के अनुसार संरक्षित किए जाएंगे, लेकिन उसी पदधारी को झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी के सदस्य के रूप में खुले चयन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसका मूल स्थान बिहार राज्य में है, विशेष रूप से जब वह नियत तिथि अर्थात 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले झारखंड का हिस्सा बनने वाले 18 जिलों में से किसी एक में काम कर रहा था या जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया था, उनकी सेवाएं अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित थीं और ऐसे वर्ग के कर्मचारी पदधारियों को झारखंड राज्य में प्रवासी नहीं माना जाएगा और उनके अनुसार, उनके मामले ***सुधाकर विट्ठल कुंभारे (सुप्रा) और सौ कुसुम***

(सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि अल्पसंख्यक दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है जिस पर इस न्यायालय द्वारा एक छोटे से सुधार के साथ विचार किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति आदेश 1950 के तहत बिहार राज्य और झारखंड राज्य में अधिसूचित जातियों से संबंधित एससी/एसटी/ओबीसी के ऐसे सदस्य दोनों राज्यों में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार हैं, यह सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोनों राज्यों में आरक्षण का लाभ ले सकता है और एक बार जब ये पदधारी झारखंड राज्य के साधारण निवासी बन जाते हैं, तो वे केवल झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार होते हैं और यही कारण है कि बिहार राज्य द्वारा अधिनियम 1991 के तहत संशोधन 2003 की धारा 4 में एक प्रावधान जोड़कर संशोधन किया गया है, जो दर्शाता है कि जो लोग झारखंड राज्य में रह रहे हैं बिहार राज्य से बाहर के निवासी अधिनियम 1991 के तहत आरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे।

22. इसके विपरीत, झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, विवादित निर्णय के बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलकर्तागण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अनुसार झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले 18 जिलों के न तो मूल निवासी हैं और न ही स्थायी निवासी हैं। वे मूल रूप से स्थायी वासी और उन क्षेत्रों के निवासी हैं जो अब बिहार के उत्तराधिकारी राज्य का अभिन्न अंग हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ***मरी चंद्र शेखर राव (सुप्रा) महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी कार्य समिति और अन्य (सुप्रा) और बीर सिंह (सुप्रा)*** में व्याख्या की है; तथा

22 मार्च, 1977 के सरकारी आदेश और उसके बाद 22 फरवरी, 1985 के सरकारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत करते है कि यद्यपि सभी पदधारी निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं तथा उनकी जाति झारखंड राज्य में संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन द्वारा अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के अनुसार अधिसूचित की गई है किन्तु इससे वे बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार हो जाएंगे तथा यह तथ्य कि वे नियत तिथि अर्थात 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले झारखंड राज्य में निवास कर रहे हैं, केवल अधिनियम 2000 के अध्याय VIII के तहत उनके अधिकारों/सेवा शर्तों की रक्षा करेगा, तथा यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार की तलाश में या अन्य विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए खुले चयन में भाग लेना चाहता है, तो उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा, भले ही उनकी जाति को राष्ट्रपति के आदेश 1950 में संशोधन द्वारा झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में अधिसूचित किया जा रहा हो और एक बार जब इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर दी गई है, जिसका संदर्भ दिया गया है, तो उनके दावे पर सही ढंग से विचार किया गया है और विवादित निर्णय में व्यक्त बहुमत के दृष्टिकोण से इसे खारिज कर दिया गया है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. हमने पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है तथा उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

24. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का अधिदेश वास्तव में हमारी संवैधानिक योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(1) तथा अनुच्छेद

342(1) संविधान के प्रयोजनार्थ किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में जाति, जनजाति या जाति, जाति या जनजाति के अंतर्गत समूहों के भाग को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जिसे उस राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माना जाता है, जैसा भी मामला हो। संविधान के अनुच्छेद 341(1) तथा 342(1) का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उनके सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे पीड़ित हैं।यह स्पष्ट है कि जाति, नस्ल या जनजाति को निर्दिष्ट करने में, राष्ट्रपति को जातियों आदि के साथ समूहों के हिस्से तक अधिसूचना को सीमित करने का अधिकार दिया गया है, और इसका मतलब यह होना चाहिए कि जिन नुकसानों से वे पीड़ित हैं और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के बाद, राष्ट्रपति सम्पूर्ण राज्य के संबंध में या राज्य के कुछ भागों के संबंध में जातियों/जनजातियों आदि को उसके भागों के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहां वह इस बात से संतुष्ट है कि मूलवंश, जाति या जनजाति की असुविधाओं, सामाजिक और शैक्षिक कठिनाई तथा पिछड़ेपन की जांच के बाद ऐसी विशिष्टता उचित है।

25. अनुच्छेद 341 और 342 यह स्पष्ट करते हैं कि जाति, नस्ल या जनजाति या किसी जाति, नस्ल या जनजाति के भाग या समूह को जैसा कि अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट है या एक आदिवासी समुदाय, जैसा कि अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है संविधान के प्रयोजन के लिए, जैसा भी मामला हो, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, और यह व्याख्या खंड (2) अंतर्गत संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 से स्पष्ट की गई है।

26. किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी विशेष भाग में किसी जाति/नस्ल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के अधिदेश से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि विस्तृत जांच के बाद राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसा करते समय, राष्ट्रपति के आदेश न केवल यह प्रावधान करते हैं कि जातियों, नस्लों या जनजातियों/आदिवासी समुदाय के निर्दिष्ट हिस्से या समूह भी किसी विशेष राज्य/संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि कुछ जातियाँ या जनजातियाँ या उनके हिस्से/समूह किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश के निर्दिष्ट/विशेष क्षेत्र/जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं।

27 किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग को निर्दिष्ट करने का विचार उस वर्ग के सदस्यों द्वारा राज्य विशेष में झेली गई असुविधाओं और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन/कठिनाइयों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करता है, लेकिन यह उस दूसरे राज्य में अनुपस्थित हो सकता है जहाँ व्यक्ति ने प्रवास किया है।

28. जब भी अतीत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, संसद ने अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और विशिष्ट जातियों/जनजातियों को अधिसूचित किया है जो पुनर्गठित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के हकदार थे। संविधान (अनुसूचित जातियां)/(अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की योजना यह स्पष्ट करती है कि संसद का इरादा राज्य विशिष्ट/संघ शासित प्रदेश के संबंध में आरक्षण का लाभ केवल उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को देना था, जैसा कि

राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेख किया गया है।

29 राष्ट्रपति ने राज्यपाल और संबंधित राज्यों के परामर्श के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की धारा 342(1) को अधिसूचित किया जिसका भाग इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है:-

(अनुसूचित जाति)

भाग द्वितीय- बिहार

1.	पूरे राज्य में:-			
	1.	बौरी	11	मेहतर सहित हेर
	2.	बन्तार	12.	कंजर
	3.	भोगता	13.	कुररियार
	4.	चमार	14.	लालबेगी
	5.	चौपाल	15.	मोची
	6.	धोबी	16.	मुसहर जाति
	7.	डोम	17.	नट
	8.	दुसाध, जिसमें धारी या धरही भी शामिल है	18.	पन

	9.	घासी	19.	पासी
	10.	हलालखोर	20.	रजवार
			21	तुरी
2.	पटना और तिरहुत प्रमंडलों और मोंगहियर, भागलपुर, पूर्णिया और पलामू जिलों में:- भूमिज			
3.	पटना, शाहाबाद, गया और पलामु जिलों में:- भुइया			
4.	शाहाबाद जिले में : दबगर			

(अनुसूचित जनजाति)

भाग द्वितीय- बिहार

1.	पूरे राज्य में:-			
	1.	असुर	15.	खरवार
	2.	बैगा	16.	खोंड
	3.	बथुडी	17.	किसान
	4.	बेदिया	18.	कोरा
	5.	बिनझिया	19.	कोरवा
	6.	बिरहोर	20.	लोहरा
	7.	बिरजिया	21.	माहली

	8.	चेरो	22.	माल पहाडिया
	9.	चिक बरैक	23.	मुण्डा
	10.	गोंड	24.	उराँव
	11	गोरेत	25.	परहैया
	12.	हो	26.	संताल
	13.	करमाली	27.	सौरिया पहाडिया
	14.	खरिया	28.	सावर
2.	रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, संताल, परगना और मानभूम जिलों में:- भूमिज			

30. यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में, 21 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है, जो पूरे राज्य में लागू होती है। साथ ही, 'भूमिज, भुइया और दबगर' जैसी जातियाँ हैं, जिन्हें क्षेत्र के आधार पर पहचाना जाता है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में 28 जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो पूरे राज्य में लागू होती है और कुछ क्षेत्रों में 'भूमिज' जाति अनुसूचित जातियों की अनुसूची में है और एकीकृत बिहार राज्य के अन्य जिलों/क्षेत्रों में समान नामकरण वाली 'भूमिज' जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाद में वर्ष 1956 और उसके बाद कुछ संशोधन किए गए, लेकिन वे वर्तमान उद्देश्य के लिए उतने प्रासंगिक नहीं हो सकते।

31. यह पहचानने के लिए कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसके लिए यह साबित करना और स्थापित करना अनिवार्य हो सकता है कि वह उस जाति/जनजाति का सदस्य है, जो उन असुविधाओं या सामाजिक कठिनाइयों या आर्थिक कष्टों से पीड़ित रहा है, जिनका सामना जातियों/जनजातियों के सदस्यों को करना पड़ा है और 1950 की राष्ट्रपति अधिसूचना में उसकी पहचान की गई है और जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को राज्य के मूल/निवास और निवासी के स्थान को ध्यान में रखना होगा, ताकि नियमों की योजना के तहत विवेकपूर्ण जांच या जांच की जा सके, ताकि यह निष्कर्ष दर्ज किया जा सके कि क्या वह पदधारी जिसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का सदस्य होने का दावा किया है, वह जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र और हकदार है, जैसा कि उसने दावा किया है और एक बार उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, तो वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य बन जाता है, जैसा भी मामला हो और बाद में उनके बच्चे भी पूरे राज्य में मिलने वाले विशेषाधिकारों और लाभों को प्राप्त करने के हकदार हो गए, जो कानून के तहत स्वीकार्य हैं।

32. साथ ही, ऐसी जातियाँ/जनजातियाँ जो क्षेत्र आधारित हैं, उनमें पदधारी को पहले उस विशेष क्षेत्र का मूल निवास स्थान/ निवास स्थान प्रस्तुत करना होगा जहाँ जाति/जनजाति की पहचान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में की गई है, ताकि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने का हकदार हो सके, जैसा भी मामला हो, और पदधारी को जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, उसके बच्चे भी पूरे राज्य में कानून के तहत स्वीकार्य आरक्षण के विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार हो गए।

33. अधिनियम 2000 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो नियत तिथि अर्थात 15 नवंबर 2000 को लागू हुआ और अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत एकीकृत बिहार राज्य के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया और उक्त क्षेत्र बिहार राज्य का हिस्सा नहीं रहे। अधिनियम 2000 की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के प्रादेशिक विभाजन के अलावा, संविधान में विधायकों, लोक सभा, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदि का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रपति के आदेश 1950 में संशोधन किया गया था, जो नियत तिथि, अर्थात् 15 नवंबर, 2000 से अधिनियम की धारा 23 और 24 के अनुसार पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा।

34. संविधान (अनुसूचित जातियां)/(अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन के पश्चात झारखंड राज्य के लिए अधिसूचित जातियों/जनजातियों को अधिसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश 1950 को अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 में अनुसूची शामिल करते हुए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

पांचवी अनुसूची

(धारा 23 देखें)

संविधान में संशोधन (अनुसूचित जातियाँ)

आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में,-

(मैं)	बिहार राज्य से संबंधित भाग III में, मद संख्या 5 में, कोष्ठक और शब्द "(उत्तर

	छोटानागपुर और दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल और संथाल परगना जिले को छोड़कर)" विलोपित कर दिए जाएंगे;	
(ii)	भाग VI, हिमाचल प्रदेश के बाद, निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: - **"भाग VIA-झारखंड**	
	1.	बन्तार
	2.	बौरी
	3.	भोगता
	4.	भुईया
	5.	चमार , मोची
	6.	चौपाल
	7.	दबगर
	8.	धोबी
	9.	डोम, धनगड
	10.	दुसाध, धारी , धरही
	11।	घासी
	12.	हलालखोर
	13.	हेर, मेहतर, भंगी
	14.	कंजर

	15.	कुररियार
	16.	लालबेगी
	17.	मुसहर
	18.	नट
	19.	सवासी
	20.	पासी
	21.	रजवार
	22.	तुरी

छठी अनुसूची

(धारा 24 देखें)

संविधान में संशोधन (अनुसूचित जनजातियाँ)

आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में,-

(1)	पैराग्राफ 2 में, अंक "XXI" के स्थान पर "XXII" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;	
(2)	अनुसूची में,-	
	(मैं)	बिहार राज्य से संबंधित भाग III में, मद संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा, और मद संख्या 7 से 30 को मद संख्या 6 से 29 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;
	(ii)	भाग XXI के बाद, निम्नलिखित भाग डाला जाएगा, अर्थात्: -

		"भाग XXII-झारखंड
	1.	असुर
	2.	बैगा
	3.	बंजारा
	4.	बथुडी
	5.	बेदिया
	6.	बिनझिया
	7.	बिरहोर
	8.	बिरजिया
	9.	चेरो
	10.	चिक बरैक
	11	गोंड
	12.	गोरेत
	13.	हो
	14.	करमाली
	15.	खरिया

	16.	खरवार
	17.	खोंड
	18.	किसान
	19.	कोरा
	20.	कोरवा
	21.	लोहरा
	22.	माहली
	23.	माल पहाडिया
	24.	मुण्डा
	25.	उराँव
	26.	परहैया
	27.	संताल
	28.	सौरिया पहाडिया
	29.	सावर
	30.	भूमिज

35. यह ध्यान देने योग्य है कि एकीकृत बिहार राज्य में इन्हीं जातियों/जनजातियों की पहचान संविधान (अनुसूचित जातियां)/(अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अंतर्गत की गई है, यह अधिनियम, 2000 की धारा 3 के अनुसार बनाए गए झारखंड राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के 18 जिलों सहित पूरे बिहार राज्य में लागू होता है।

36. एकीकृत बिहार राज्य में, संविधान (अनुसूचित जाति)/ (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र पदधारी को उसके मूल निवास स्थान/निवास के आधार पर जारी किए जाने के पश्चात, उसे पूरे बिहार राज्य में विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का अधिकार प्राप्त हो गया। पदधारी द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के सदस्य के रूप में पांच दशक से अधिक समय तक विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेने के पश्चात, नवंबर 2000 में अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अनुसार पांचवीं और छठी अनुसूची को शामिल करने वाली संशोधन अधिसूचना जारी किए जाने के समय, समान नामकरण और समान भौगोलिक परिस्थितियों वाली वे जातियां /जनजातियां/ओबीसी, जो अब अधिनियम 2000 की धारा 3 के आधार पर झारखंड के उत्तरवर्ती राज्य में स्थित हैं, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उत्तरवर्ती राज्य के निवासियों पर लागू हो गईं।

37. कि ***मरीं चंद्र शेखर राव (सुप्रा)*** में इस न्यायालय की संविधान पीठ के पास यह जांचने का अवसर था कि क्या किसी विशेष राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्ति दूसरे राज्य में शिक्षा/रोजगार के मामले में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं या रियायतों का हकदार होगा। संविधान के विभिन्न प्रावधानों और जिन आधारों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए थे, का हवाला देते हुए तथा पहले के निर्णयों पर

गौर करते हुए, इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

> "9. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा तथा उनके पास विकास और वृद्धि के लिए सुविधाएं नहीं थीं। इसलिए, उन क्षेत्रों में उन्हें समान बनाने के लिए, जहां उन्हें इस प्रकार की असुविधा हुई है और वे अविकसित अवस्था में हैं, उनके पक्ष में आरक्षण या संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे समुदाय के अधिक लाभप्रद या विकसित वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथाओं से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आमतौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मानदंड माना जाता है। ***हालांकि, किसी जाति की सामाजिक स्थितियां राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं और किसी भी जाति या जनजाति को पूरे देश के लिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के रूप में सामान्यीकृत करना उचित नहीं होगा***। हालांकि, यह एक अलग समस्या है कि क्या देश के एक हिस्से में रहने वाला अनुसूचित जाति का कोई सदस्य, जो दूसरे राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास करता है, उसे उसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें वह प्रवास कर गया है। इस प्रश्न पर पूरे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए

निर्णय लिया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

38. इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भारत के पूरे क्षेत्र में संविधान के प्रयोजन के लिए लाभ मिलना चाहिए, यह टिप्पणी की कि यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो "राज्य के संबंध में" अभिव्यक्ति अपना महत्व खो देगी। **मर्री चंद्र शेखर राव (सुप्रा)** के बाद इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति और एक अन्य (सुप्रा) में निर्णय दिया, जिसके बाद इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने बीर सिंह (सुप्रा) में निर्णय दिया, जिसमें पैरा 34 में, यह निम्नानुसार माना गया:-

> **"34.** इसलिए, बिना किसी हिचकिचाहट के यह कहा जा सकता है कि एक राज्य में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को किसी अन्य राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है, जहां वह रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से प्रवास करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में प्रयुक्त "उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में" और "इस संविधान के उद्देश्य के लिए" का अर्थ यह होगा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों

तक ही सीमित रहेगा, जिसके संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियां समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अधिसूचित की गई हैं। ***राज्य 'ए' में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित व्यक्ति किसी अन्य राज्य में उसी स्थिति का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता है कि उसे राज्य 'ए' में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया है***।"

(जोर दिया गया)

39. जहाँ तक एक राज्य से दूसरे राज्य में अनैच्छिक प्रवास का सवाल है, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने म**रीं चन्द्र शेखर राव (सुप्रा)** मामले में उन जातियों/जनजातियों के भाग्य को ध्यान में रखते हुए, जो अपने मूल राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत होने की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जब अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के परिवर्तन या स्थानांतरण के कारण, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने प्रवास के भाग्य पर विचार करते हुए दूसरे राज्य में चले जाते हैं, चाहे वह रोजगार या पेशे के कारण, बल या परिस्थितियों के कारण अनैच्छिक हो, तो यह विधानमंडल या संसद पर छोड़ दिया जाता है कि वह इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उचित कानून बनाने पर विचार करे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के आधार पर अच्छी तरह से संरक्षित किया जाए और पैरा 23 में निम्नानुसार कहा गया है:

"23. संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों को जिस तरह से हमने किया है, उसी तरह से व्याख्यायित करने के बाद, अगला प्रश्न जो विचारणीय है, वह है उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के भाग्य का प्रश्न, जिन्हें मूल राज्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत होने का संरक्षण प्राप्त है, जब वे अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के कारण स्वैच्छिक (अनैच्छिक) स्थानांतरण के रूप में अन्य राज्यों में चले जाते हैं, तो क्या उन्हें किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपचार का अधिकार होगा, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें या आगे बढ़ा सकें। ऐसी स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां रोजगार या पेशे की परिस्थितियों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास अनैच्छिक है, ऐसे मामलों में यदि विद्यार्थी या व्यक्ति प्रवासित राज्य में आवेदन करते हैं, जहां उन राज्यों या क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, अध्ययन या प्रवेश जारी रखने के लिए कोई सुविधा या संरक्षण किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, जो प्रवासित हो चुका है या कर चुका है, तो उस आधार पर कुछ विचार किया जाना वांछनीय है। इसलिए, यह आवश्यक और संभवतः वांछनीय होगा कि विधानमंडल या संसद इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उचित कानून पर विचार करें ताकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत प्रावधानों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अधिकारों को उचित प्रभाव दिया जा सके। यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल या संसद उचित

रूप से विचार कर सकते हैं।"

(जोर दिया गया)

40. पिछड़े वर्गों के संबंध में, इस न्यायालय ने **एम.सी.डी. बनाम वीना और अन्य 2001 (6) एस.सी.सी. 57**1 में विशेष रूप से माना है कि प्रवासी उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के रूप में आरक्षण के हकदार नहीं हैं, जहां वे प्रवास कर गए हैं। निर्णय का प्रासंगिक भाग जिस पर ध्यान दिया जा सकता है, वह इस प्रकार है:

"6. जातियां या समूह किसी दिए गए राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि ऐसी जाति में उस राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में ओ.बी.सी. समूह से संबंधित जातियां शामिल होंगी, जिसके लिए यह निर्दिष्ट है। ओबीसी से संबंधित किसी विशेष समूह में किसी विशेष जाति को निर्दिष्ट करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जाना है, वे उस राज्य में उस जाति या समूह द्वारा झेली गई असुविधाओं और सामाजिक कठिनाइयों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेंगे। हालाँकि, ऐसा किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकता है, जहाँ उस जाति या समूह का कोई व्यक्ति प्रवास करके जाता है। यह भी हो सकता है कि एक ही नामकरण से संबंधित एक जाति दो राज्यों में निर्दिष्ट की गई हो, लेकिन जिन आधारों पर उन्हें निर्दिष्ट किया गया था, वे पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, विनिर्देशन के लिए डेटा का गठन करने वाले विभिन्न तत्वों के नुकसान की डिग्री भी पूरी तरह से अलग हो सकती है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि किसी जाति को एक राज्य में ओबीसी से संबंधित के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी अन्य राज्य में उसी नामकरण से संबंधित कोई अन्य समूह है, तो उस

समूह से संबंधित व्यक्ति उस जाति के सदस्यों को स्वीकार्य अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों का हकदार है। ओबीसी को आरक्षण के आवेदन के संदर्भ में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।"

(जोर दिया गया)

41. जिस संविधान पीठ का संदर्भ दिया गया है (सुप्रा) के निर्णयों द्वारा, यह तय किया गया है कि राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी से संबंधित व्यक्ति, स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से दूसरे राज्य में प्रवास करने पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के सदस्य को मिलने वाले विशेषाधिकारों सहित आरक्षण के लाभों का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसी नाम की जाति या जनजाति बाद वाले राज्य (जिस राज्य में प्रवास किया गया है) में अधिसूचित हो और यदि इसकी अनुमति दी जा रही है, तो संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के तहत "राज्य के संबंध में" अनिवार्य अभिव्यक्ति निरर्थक हो जाएगी और यह मुद्दा इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई घोषणाओं के बाद अब और लाभकारी नहीं रह जाएगा।

42. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने गृह मंत्रालय द्वारा 22 मार्च, 1977, उसके बाद 18 नवम्बर, 1982, 6 अगस्त, 1984 तथा 22 फरवरी, 1985 को जारी सरकारी आदेश पर भारी निर्भरता जताई है जिन सरकारी आदेशों का संदर्भ दिया गया है, उनका अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण के रूप में जारी किये गए हैं।

43. 22 फरवरी 1985 के सरकारी आदेश में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति जो रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासित हुए हैं, वे अपने मूल राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के माने जाएंगे तथा वे मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे प्रवासित हुए हैं। 22 फरवरी 1985 के आदेश का अंश नीचे दिया गया है:-

> ***"यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार आदि की तलाश में अपने मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रवास कर गया है, उसे अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, वह अपने मूल राज्य का अनुसूचित जाति/जनजाति माना जाएगा और वह अपने मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, न कि उस राज्य से जिसमें वह प्रवास कर गया है।"***

44. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तरवर्ती बिहार राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया था, ने अधिनियम, 1991 के प्रावधानों को अभिलेख में रखा तथा जोर धारा 4 में संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़े गए प्रावधान पर था, जो यह न्यायोचित ठहराने के लिए था कि जो लोग बिहार राज्य से बाहर रह रहे हैं, वे बिहार राज्य में नियुक्तियों के मामले में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे। संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अधिनियम 1991 में धारा 4 में जोड़ा गया प्रावधान नीचे उद्धृत है:-

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि बिहार राज्य से बाहर रह रहे अभ्यर्थी

इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के लिए दावा नहीं करेंगे।"

45. इस तत्काल मामले में, हम राज्य 'ए' से दूसरे राज्य 'बी' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्वैच्छिक या अनैच्छिक प्रवास के मुद्दे की जांच नहीं कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों/लाभों का दावा कर रहे हैं, भले ही बाद वाले राज्य में उसी नाम की कोई जाति या जनजाति हो।

46. वर्तमान अपीलों में हमारे विचारार्थ जो प्रश्न उभर कर आता है, वह यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो बिहार राज्य का निवासी रहा है और जहां संविधान (अनुसूचित जातियां)/(अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 जारी किया गया है, जिसमें जातियों/जनजातियों की पहचान की गई है, तथा एकीकृत बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ प्रदान किया गया है जिसे बाद में एक वैधानिक साधन, अर्थात् अधिनियम, 2000 के आधार पर दो उत्तरवर्ती राज्यों (बिहार राज्य और झारखंड राज्य) में विभाजित कर दिया गया, जहां उनके अधिकार और विशेषाधिकार अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत विधायी अधिनियमन द्वारा संरक्षित हैं, क्या उसे अभी भी उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में प्रवासी माना जा सकता है, जिससे उन्हें उनके विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित किया जा सके, जिनका लाभ वर्तमान व्यक्ति या उनके वंशजों ने एकीकृत बिहार राज्य में राष्ट्रपति आदेश 1950 के आरंभ से ही उठाया है।

47. जहां तक बिहार राज्य के मामलों के संबंध में नियत तिथि से ठीक पहले सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, अधिनियम 2000 के भाग VIII के अंतर्गत उनकी सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इसके

कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने धारा 72 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में कर्मचारियों के आवंटन के लिए मानदंड निर्धारित करने वाली एक योजना बनाई है और अधिक विशेष रूप से, जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी का संबंध है, आवंटन इस आधार पर हुआ है (1) निवास, (2) कर्मचारी का विकल्प (3) यदि फिर भी पद रिक्त रह जाते हैं, तो वरिष्ठता के विपरीत क्रम में कनिष्ठता संवर्ग में आने वालों के बीच आवंटन किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए जारी सरकारी आदेश का अंश नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

"कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

राज्य पुनर्गठन

परिचय

तत्कालीन मौजूदा राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के पुनर्गठन के उद्देश्य से नवंबर 2000 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाए गए थे। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभाजित कर दिया गया, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बना दिया गया और बिहार को बिहार और झारखंड में पुनर्गठित किया गया। इन तीनों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को संगठन के संबंध में उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कार्मिकों की सेवाओं के आवंटन का अधिकार प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में राज्य पुनर्गठन (एसआर) प्रभाग

द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आवंटित राज्य के सरकारी कर्मचारी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड, राज्य पुनः अखिल भारतीय संवर्ग, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ और बिहार/झारखंड के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों का आवंटन प्रगति पर है।

आवंटन का आधार

क्रमांक संख्या	राज्य	नियत दिन
1.	मध्य प्रदेश	01.11.2000
2.	उत्तर प्रदेश।	09.11.2000
3.	बिहार	15.11.2000

नियुक्त तिथि को कर्मचारियों/रिक्तियों की संख्या उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पदों के आवंटन का आधार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए नियुक्त तिथि इस प्रकार है:-

आवंटन के मानदंड

राज्य संवर्ग के कर्मचारियों के आवंटन का व्यापक सिद्धांत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पहले विकल्प के आधार पर आवंटन, उसके बाद अधिवास (गृह जिला) और अंत में वरिष्ठता के विपरीत क्रम में सबसे कनिष्ठ कार्मिक को शामिल करना शामिल है। यदि किसी उत्तरवर्ती राज्य को आवंटित पदों की संख्या कुल विकल्पकर्ताओं और अधिवास (गृह जिला) की कुल संख्या से अधिक है, तो शेष पदों को भरने के लिए, संवर्ग में वरिष्ठता में निचले स्थान पर स्थित कर्मचारियों को

उनके विकल्पों के विरुद्ध भी आवंटन के लिए विचार किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अपनी इच्छा के विरुद्ध अधिवास और कनिष्ठता के आधार पर आवंटित कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के कुछ वर्ग को उनके विकल्प के राज्यों में आवंटित करने की सुविधा के लिए दिशा-निर्देशों में कई अपवाद बनाए गए थे। उपर्युक्त नीति के अपवाद निम्नलिखित हैं:-

क्रमांक संख्या	श्रेणियाँ	विवरण
(i)	महिला कर्मचारी	विकल्प के आधार पर आबंटित
(ii)	वर्ग VI कर्मचारी	विकल्प के आधार पर आबंटित
(iiii)	विकलांग व्यक्ति	विकल्प के आधार पर आबंटित
(iv)	जीवनसाथी नीति	दोनों पति-पत्नी को उनकी पसंद के आधार पर एक ही उत्तराधिकारी राज्य आवंटित किया जाएगा
(v)	चिकित्सा कठिनाइयों के मामले	आवंटन निम्नलिखित चिकित्सा कठिनाई मामलों में विकल्प पर आधारित है
(a)	कैंसर का रोगी	स्वयं या परिवार#
(b)	अंधापन	केवल स्वयं
(c)	हृदय बाईपास सर्जरी	समिति द्वारा केवल तभी स्व-प्रमाणन पर विचार किया जाएगा जब यह कार्य

		अभ्यावेदन की तिथि से दो वर्ष के भीतर किया गया हो।
(d)	गुर्दा प्रत्यारोपण गुर्दा विफलता और डायलिसिस जारी रखना	स्वयं या परिवार#
(e)	मानसिक बिमारी	स्वयं या परिवार#, कम से कम तीन महीने तक इनडोर उपचार तक सीमित
(f)	भोपाल गैस त्रासदी	केवल विकल्प के आधार पर आबंटित किया जाएगा यदि स्वयं/परिवार द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है
(g)	एससी/एसटी कर्मचारी	निवास स्थान या विकल्प के आधार पर आबंटित

#परिवार में पति/पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

(च) अंतिम आवंटन

राज्य सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सिफारिशें पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं,

केंद्र सरकार उत्तराधिकारी राज्यों के बीच कार्मिकों का अंतिम आवंटन जारी करती है।"

48. जहां तक सेवारत कर्मचारियों की सेवा शर्तों का प्रश्न है, अधिनियम 2000 को लागू करने से, वास्तव में अधिनियम 2000 के भाग VIII के अंतर्गत धारा 73 को धारा 74 के साथ पठित करके उनकी रक्षा की जा रही है। जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ऐसे कर्मचारी जो नियत तिथि से तुरंत पहले नियुक्त किए गए थे या वर्तमान झारखंड राज्य में आने वाले किसी क्षेत्र में विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी पद या कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसी पद पर बने रहेंगे या उत्तरवर्ती राज्य में कार्यालय, बशर्ते बिहार राज्य में बने रहने का विकल्प चुना गया हो, उन्हें उत्तरवर्ती राज्य के पद या कार्यालय पर विधिवत् नियुक्त माना जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे कर्मचारी जो नियत तिथि को या उससे ठीक पहले काम कर रहे हैं, अर्थात् 15 नवम्बर, 2000 को उन 18 जिलों में, जो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार झारखंड राज्य का हिस्सा बन गए हैं, नियुक्तियां संबंधित उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में मानी जाएंगी। उनकी सेवा शर्तों में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक अधिनियम की धारा 73 और 74 नीचे उद्धृत हैं:-

धारा 73. सेवाओं से संबंधित अन्य प्रावधान:

(1) धारा 72 की कोई बात, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग XIV के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी: परन्तु यह कि बिहार राज्य को आबंटित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तें लागू होंगी। धारा 72 के अधीन झारखंड राज्य को हस्तांतरित किसी भी आदेश में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन

के बिना उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) नियत दिन से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी सेवाएं-

(क) यदि उसे धारा 72 के अधीन किसी राज्य को आवंटित समझा जाता है, तो उस राज्य के मामलों के संबंध में की गई समझी जाएंगी;
(ख) यदि उसे झारखंड राज्य के प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया समझा जाता है, तब उसे संघ के कार्यकलापों के संबंध में उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए किया गया समझा जाएगा।

(3) धारा 72 के उपबंध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

धारा 74. अधिकारियों के एक ही पद पर बने रहने के संबंध में उपबंध।
- प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी भी क्षेत्र में विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलापों के संबंध में कोई पद या कार्यालय धारण कर रहा हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, जो उस दिन किसी उत्तरवर्ती राज्य के अंतर्गत आता है, वह उस उत्तरवर्ती राज्य में वही पद या कार्यालय धारण करता रहेगा, और उस दिन से ही, उस उत्तरवर्ती राज्य की सरकार या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या कार्यालय पर विधिवत् नियुक्त किया जाना समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन से ही, ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसे पद या कार्यालय में बने रहने पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित करने से रोकने वाली नहीं समझी

जाएगी।"

49. अधिनियम 2000 की योजना यह मानती है कि जो कर्मचारी नियत तिथि को या उससे पहले बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, उनके पास अधिनियम की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले जिलों का अधिवास है या उन्होंने अपनी वरिष्ठता में कनिष्ठ होने का विकल्प चुना है या शामिल हुए हैं, वे झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में समाहित हो जाते हैं और एक वैधानिक साधन के आधार पर, उनकी सेवा शर्तें संरक्षित हो जाती हैं और वे उन विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार हो जाते हैं, जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के सदस्य समय-समय पर संशोधित राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार हकदार हैं।

50. इस न्यायालय ने **सुधाकर विट्ठल कुंभारे (सुप्रा)** में लगभग समान प्रकृति के विवाद की विवेचन करते हुए निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

"5. लेकिन यहां विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह किसी अन्य मामले में नहीं उठाया गया प्रतीत होता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा है और उन्हें विकास और वृद्धि के लिए सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें आरक्षण के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षात्मक वरीयताओं, सुविधाओं और लाभों की आवश्यकता है, ताकि वे समुदाय के अधिक सुविधा संपन्न और विकसित वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता हल्बा/हल्बी के रूप में जानी जाने वाली अनुसूचित जनजाति है, जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में भी मान्यता प्राप्त है और जिसका मूल छिंदवाड़ा क्षेत्र है, जिसका एक हिस्सा राज्यों के पुनर्गठन पर महाराष्ट्र राज्य में आ गया है, वह आरक्षण के लाभ

का हकदार था। यह कहना एक बात है कि अनुच्छेद 137 में आने वाला "उस राज्य के संबंध में" भारतीय संविधान की धारा 342 को प्रभावी या उचित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि यह संभावना समाप्त हो जाए कि एक जनजाति जिसे संविधान के प्रयोजन के लिए राज्यपाल से परामर्श के बाद एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, उसे दूसरे राज्य में वही लाभ नहीं मिल सकता है जिसके राज्यपाल से परामर्श नहीं किया गया है; लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि जब किसी क्षेत्र में उसी जनजाति के सदस्यों का प्रभुत्व हो जो उसी क्षेत्र से संबंधित है जिसे विभाजित किया गया है, तो सदस्यों को तब भी वही लाभ नहीं मिलता रहेगा जब उक्त जनजाति को दोनों राज्यों में मान्यता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जो प्रश्न पूछा जाना और उसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या एक क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विभाजन के बावजूद वही लाभ मिलते रहेंगे। यह पता लगाने के लिए कि क्या देश के किसी विशेष क्षेत्र को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता थी, इस मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छिंदवाड़ा जिले में पांढुर्ना और चंद्रपुर के क्षेत्र का एक हिस्सा एक समय में एक ही क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत, जैसा कि वह मूल रूप से था, उस क्षेत्र की जनजाति हल्बा/हल्बी को समान संरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में विनिर्देशन के लिए इनपुट बनाने वाले विभिन्न तत्वों की असुविधाओं की डिग्री पूरी तरह से भिन्न नहीं हो सकती है और पुनर्गठन के बाद भी महाराष्ट्र राज्य उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में हल्बा/हल्बी को शामिल करने के लिए सहमत हो सकता है।"

51. यह एक ऐसा मामला था जिसमें व्यक्ति हल्बा/हल्बी नामक अनुसूचित जनजाति का सदस्य था। जनजाति की उत्पत्ति जिला छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुई थी जो मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है, छिंदवाड़ा जिले का एक हिस्सा चंद्रपुर राज्य के पुनर्गठन पर मध्य प्रदेश राज्य से मौजूदा महाराष्ट्र राज्य में आ गया, इसे मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य में प्रवास का मामला नहीं माना गया। लेकिन महाराष्ट्र राज्य मौजूदा राज्य है और महाराष्ट्र राज्य सिटी बोर्ड द्वारा उठाई जा रही आपत्ति पर विभिन्न तत्वों की कमियों की डिग्री अलग हो सकती है, जहां पदधारी कार्यरत था, ***कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अपर आयुक्त, आदिवासी विकास और अन्य"1994(6) एससीसी 241*** में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में गठित और स्थापित जांच समिति द्वारा जांच के लिए इसे खुला छोड़ दिया गया था।

52. झारखंड राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में एक बुनियादी विरोधाभास है कि पदोन्नति संवर्ग पद में आरक्षण के लाभ सहित मौजूदा सेवा शर्तों में उसके लिए कोई अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने के दौरान झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा, ताकि वह खुली/सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर सके।और उसने पड़ोसी राज्य बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा गया , अपने मूल राज्य झारखंड में अलग स्थिति रखने के लिए झारखंड राज्य की सेवा का सदस्य बनने के बाद, नियत दिन यानी 15 नवंबर, 2000 को और उसके बाद पर्याप्त लंबे समय तक राज्य में सेवा करना कानूनन टिकने योग्य नहीं है और अधिनियम 2000 की योजना का उल्लंघन है।

53. यह उनके हितों के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर उनके समाहित होने के बाद झारखंड राज्य में आरक्षण के लाभों और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की

सुरक्षा नहीं की जाती है, इसमें स्पष्ट रूप से न केवल विद्यमान सेवा शर्तों की रक्षा करने की बात कही गई है, बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों का लाभ भी संरक्षित करने की बात कही गई है, जिसका उपभोग वह नियत दिन अर्थात 15 नवम्बर, 2000 को या उससे पहले बिहार राज्य में कर रहे थे और झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद इसमें उनके लिए अहितकर परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

54. अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के सामूहिक वाचन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका मूल/निवास स्थान नियत दिन को या उससे पूर्व बिहार राज्य का था, और अब वह उन जिलों/क्षेत्रों में आता है जो अधिनियम, 2000 की धारा 3 के अंतर्गत उत्तरवर्ती राज्य अर्थात झारखंड राज्य बनाते हैं, वह झारखंड राज्य का साधारण निवासी बन गया है, साथ ही, जहां तक उन कर्मचारियों का प्रश्न है जो अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियत तिथि अर्थात 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले बिहार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में थे, उन लोगों को छोड़कर जो झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले किसी भी जिले के मूल निवासी हैं, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है या वे कर्मचारी जो भारत सरकार की नीति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के संवर्ग में कनिष्ठ हैं, जिसके लिए संदर्भ दिया गया है, या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से झारखंड राज्य में सेवा करने के लिए बुलाए जाते हैं, उनकी मौजूदा सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे अधिनियम, 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित हैं।

55. हमारे सुविचारित विचार में, ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं जिनकी जाति/जनजाति को संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन द्वारा अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 की पांचवीं और छठी अनुसूची के

अंतर्गत या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्यों के लिए अलग अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है, विशेषाधिकारों और उससे मिलने वाले लाभों सहित आरक्षण का लाभ, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर उन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित रहेगा, जिनका दावा (उनके बच्चों द्वारा भी) सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए किया जा सकता है।

56. यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक में आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है। परंतु वे दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में एक साथ आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, तथा जो आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं तथा उत्तरवर्ती राज्य बिहार के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों को प्रवासी माना जाएगा और वे आरक्षण का लाभ लिए बिना सामान्य श्रेणी में भाग ले सकेंगे और इसके विपरीत भी वे प्रवासी माने जाएंगे।

57. हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलकर्ता पंकज कुमार सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020 में, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर झारखंड राज्य में सेवारत कर्मचारी होने के नाते, सार्वजनिक रोजगार की मांग करने वाली खुली प्रतियोगिता में भाग लेने सहित सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों सहित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार होंगे ।

58. जहाँ तक सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 3610-3615/2021 में अन्य अपीलकर्तागण के मामले का सवाल है उनमें से किसी ने भी रिकॉर्ड पर कोई ऐसा सबूत नहीं रखा है जिससे यह साबित हो सके कि वे कितने

समय से उन जिलों में रह रहे थे जो अब झारखंड राज्य का हिस्सा हैं और वर्ष 2004 के विज्ञापन में यह कहा गया था कि झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनमें से किसी ने भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जैसा कि हमने देखा, अपीलकर्तागण के वर्तमान बैच को वर्ष 2005 में झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, हमारे विचार से, वे झारखंड राज्य में प्रवासी थे, जो इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के मद्देनजर आरक्षण का लाभ लेने से उन्हें वंचित करता है, जिसका संदर्भ दिया गया है (सुप्रा)

59. लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अपीलकर्तागण ने कांस्टेबल के पद के लिए चयन हेतु झारखंड राज्य द्वारा जारी दिनांक 13 जनवरी, 2004 के विज्ञापन के अनुसार अपना आवेदन सद्भावपूर्वक प्रस्तुत किया था और प्रतिवादीगण का यह मामला नहीं है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय अपीलकर्तागण में से किसी ने गलत बयान दिया है या अपीलकर्तागण में से कोई भी जिस जाति/जनजाति/ओबीसी से संबंधित है, उसे संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित नहीं किया जा रहा है जिसे अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में संशोधित किया गया है या ओबीसी का वह वर्ग जिसे झारखंड राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है और एक बार अपीलकर्तागण की नियुक्ति हो जाने के बाद, चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद 3-4 साल तक सेवा की है, उनकी सेवाएं जून, 2008 में समाप्त हो गईं और जो कभी दोषी नहीं थे, वे मुकदमेबाजी में लगभग 13 वर्ष गंवा चुके हैं और बाद में उन्हें रोजगार नहीं मिल सका। विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों तथा सेवा की अवधि को ध्यान

में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रत्येक अपीलकर्ता वेतन और भत्ते आदि के काल्पनिक निर्धारण पर सेवा में पुनः बहाल होने का हकदार है।

60. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत किये जाने के योग्य है और हम मानते हैं कि 24 फरवरी, 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया बहुमत का निर्णय अस्थिर है और इसके द्वारा इसे रद्द किया जाता है हम सिद्धांत रूप से अल्पमत के निर्णय से भी सहमत नहीं हैं और स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक राज्य में आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है , लेकिन वह दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण के विशेषाधिकार और लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा और यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के अधिदेश को पराजित करेगा।

61. तदनुसार, सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020 में अपीलकर्ता पंकज कुमार को विज्ञापन संख्या 11/2007 के संदर्भ में उनके चयन के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। और वह वेतन और भत्ते के काल्पनिक निर्धारण के साथ योग्यता के क्रम में अपने स्थान के अनुसार अपनी वरिष्ठता के लिए हकदार है और सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 3610-3615/2021 में, प्रत्येक अपीलकर्ता की समाप्ति का आदेश रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है तथा अपीलकर्तागण को काल्पनिक वेतन और भत्ते के साथ सेवा में बहाल कर दिया जाएगा तथा वे नियुक्ति/बहाली की तारीख तक वेतन के बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

62. परिणामस्वरूप, उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपील का निपटारा हो जाएगा और अनुपालन छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा। कोई खर्च नहीं।

63. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति

(उदय उमेश ललित)

न्यायमूर्ति

(अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली

अगस्त 19, 2021

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|